11/5100

संख्याः–1224/*XIV*–1/2017–5(44)/2010

प्रेषक,

आर०मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

सहकारिता,गन्ना एवं चीनी अनुभागः–1 देहरादून दिनांक 22 सितम्बर, 2017

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में पैक्स मिनी बैकों में जमा निक्षेपों हेतु निक्षेप गारन्टी योजना (कॉरपस फण्ड) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–312/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 31 मार्च, 2017 एवं संख्या–610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 के कम में आपके कार्यालय के पत्र संख्या–4600/नियो0/कारपस फण्ड/2017–18 दिनांक 05 सितम्बर, 2017 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहकारिता विभाग के अन्तर्गत पैक्स मिनी बैकों में जमा निक्षेपों के लिये निक्षेप गारन्टी योजना (कॉरपस फण्ड) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्राविधानित बजट के सापेक्ष अवशेष धनराशि **₹26,67,000/–(₹छब्बीस लाख सड़सठ हजार मात्र)** निम्नांकित शर्तों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) योजना के सम्बन्ध में शासनादेश संख्याः–6938–43/व0ग्रा0वि0/सह0/2003–04 दिनांक 17 मार्च 2004 द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों में जमा निक्षेपों के लिये निक्षेप गारन्टी योजना नियमावली, 2004 की शर्तों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित् किया जाय।

(2) योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार का अशंदान 0.30 प्रतिशत की दर से (गत वर्ष निक्षेप राशि में हुई वृद्धि पर) अनुमन्य होगा। प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति, जिला सहकारी बैंक एवं शीर्ष बैंक के अंशदान जो कि कमशः 0.15, 0.10 एवं 0.05 प्रतिशत (गत वर्ष निक्षेप राशि में हुई वृद्धि पर) हैं, तत्काल जमा किये जाएं। योजना का अनुश्रवण दी गयी व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित किया जाय तथा उसकी प्रगति से शासन को भी नियमित रूप से अवगत कराया जाय।

(3) उक्त धनराशि ऐसे किसी मद/कार्य पर व्यय न की जाय जो योजना में स्वीकृत नहीं है, यदि इसका उपयोग किसी अन्य मद में किया जाता है, तो सम्बन्धित अधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी इसके लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

(4) उक्त धनराशि का व्यय विवरण प्रत्येक माह के अन्त में या ठीक अगले माह की 5 तारीख तक बी0एम0–8 प्रपत्र पर नियमित रूप से वित्त विभाग, प्रशासकीय विभाग तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय।

(5) उक्त व्यय शासन के वर्तमान नियमों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाय की उक्त धनराशि को किसी ऐसे कार्य/मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिये वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित हो। व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी समय–समय पर जारी शासनादेशों का व वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

कमशः

(6) चालू वर्ष 2017–18 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत करने विषयक वित्त विभाग के पत्र संख्या–312 /3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 31मार्च 2017 एवं पत्र संख्या–610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा चालू वित्तीय वर्ष हेतु निर्धारित भौतिक लक्ष्य समयबद्ध आधार पर प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाय।

2. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के अनुदान संख्या–18 के अर्न्तगत लेखाशीर्षक 2425–सहकारिता–राजस्व–00–107–केडिट सहकारी समितियों को सहायता–02–पैक्स मिनी बैंको में जमा निक्षेपों के लिये निक्षेप गारन्टी योजना–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

3. उपर्युक्त आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्याः–312/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 31 मार्च 2017 एवं पत्र संख्या–610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा दिये गये विस्तृत दिशा निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–आई0डी0 मूल में।

भवदीय,

(आर0मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्याः–1224(1)/XIV–1/2017, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबरॉय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. वित्त–4/नियोजन/भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त, कुमायूं/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।
6. बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. प्रभारी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बी0एस0 बोरा)
उप सचिव।